

FORM NO. III

फर्द अहकाम


(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार बनाम रामकिशन पुत्र नहन्या
किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या- 03 सन्-2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-03/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.07.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2080 ग्राम सरावली भूमि ख0न0 95 कुल अतिक्रमित रकबा 0.01 है0 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0 रास्ते पर गैर सायल रामकिशन पुत्र नहन्या जाति मीना निवासी ग्राम सरावली द्वारा उक्त भूमि को जोतकर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, गैर सायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। गैर सायल के बेटे से तामिल कराई गई। नोटिस प्राप्त होने पर भी गैर सायल न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुआ एवं ना ही गैर सायल द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। इसके स्पस्ट होता है कि गैर सायल द्वारा सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.44 रुपये का 50 गुणा 22 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली, एवं वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले अदालत में सुनाया गया।</p>	

राजस्व लक्ष्य 4 वर्ष 2023-24 की
राजस्व 03 पर 22 रु
कायम की गई।


तहसीलदार
मण्डावर (दौसा)



तहसील राजस्व लखाका